

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 957/2023

UPRN180017792023



सरकार

बनाम

जय सिंह आदि

धारा 147,148,323,504,506 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 387/2022

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

दिनांक – 09/01/2026

### आदेश

प्रार्थना पत्र आज पेश हुआ। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आया।

अभियुक्तगण रवी सिंह, राहुल, अवधेश, शनि व सागर की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण विगत नियत तिथि को न्यायालय उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते आरोप लम्बित है। अभियुक्तगण दिनांक 17/12/2025 को अनुपस्थित हैं, जिस कारण उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया था। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण प्रत्येक को बीस हजार रुपये का निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र का आदेश निरस्त किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562